

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम गोविन्दगढ
 रामदास वगै० बनाम कर्मचन्द वगै०
 राजस्व दावा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
09.01.2023	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलवाना तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 31.01.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ(अलवर)</p> <p>31-1-23 पत्रावली पेश। P.O. साहब... है। को पेश हो। पत्रावली दिनांक... 23-2-23 को पेश हो। रीडर</p> <p>23-2-23 पत्रावली पेश। P.O. साहब... है। को पेश हो। पत्रावली दिनांक... 27/3/23 को पेश हो। रीडर</p> <p>27/3/23 वकील वादी उपस्थित दिनांक... 9.1.1.23 पत्रावली दास्त... दिनांक... 27/3/23 को पेश हो। रीडर</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर)</p>	

8/6/23 पत्रावली पेश। P.O. साहब... है।
 को पेश हो।
 पत्रावली दिनांक... 14/6/23 को पेश हो।
 रीडर

तारीख हुकम


हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर
अहम
जारी

06/2/24

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली दीर्घविधि से
उत्पादी (अग्रणी) सं. 1 ल० 10, 14 ल० 19 की तलबी में है।
तलबी हेतु अनेक अवसर विधि जैसे हैं तथा पुन तलबाना
पेश करने हेतु लिखा गया है। तथा अंतिम अवसर के रूप
अनेक अवसर इस आशय के उद्देश्य किसे जैसे है कि आ
तापेरा पर आवश्यक रूप तलबाना पेश करे। इसके
उपरोक्त आदेशों तक पुन प्रेश तलबाना पेश नहीं किया
है सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 05
के अलोक में दावा खारिज किया जाना उचित
पतीत होता है।

अतः सि.प्र.सं. के आदेश 9 नियम 05 के
अलोक में दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली क्रिसल
सूमार दोनर नम्बर से कम है। पाद शामिल तबनील
हाबिल रफर है।


उपखण्ड अधिकारी
गोकुल (अलवर) राज०